इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जून 2013—आषाढ़ 3, शक 1935

## विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 10 क-वि.निर्वा.-4क-2012-324.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 76/MP-LA/2008-440, दिनांक 7 जून 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**जयदीप गोविन्द,** प्रमुख सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 7 जून, 2013—ज्येष्ठ 17, 1935 (शक)

### आदेश

सं. 76/म.प्र.-वि.स./2008.—यत:, भारत निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन में, उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से और, स्तम्भ (4) में उसके सामने उल्लिखित निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत:, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद उक्त असफलता के लिए कोई कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन यदि कोई हों, पर विचार करने के उपरान्त निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:—

सारणी

| क्र.सं. | निर्वाचन का विवरण | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता | निरर्हता का कारण |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2008. | 31-राघोगढ़ | श्री भूपेन्द्र सिंह वार्ड नं.-11, आरौन, (मध्यप्रदेश). | निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे. |
| 2 | —वही— | —वही— | श्री लालाराम (अंकल) गॉव-सकतपुर, डाक-नेगमा, जिला-गुना (मध्यप्रदेश). | —वही— |

आदेश से,<br>
हस्ता./-<br>
**( युहलुंग स्टैण्डहोप )**<br>
सचिव,<br>
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 7th June, 2013—Jaistha 17, 1935 (Saka)

ORDER

No. 76-MP-LA-2008.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly in Madhya Pradesh State specified in column (2) and held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission or after considering the representation made by them, if any, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of

three years from the date of this order:—

TABLE

| Sl. No. | Particulars of Election | Sl. No. & Name of Assembly Constituency | Name & Address Contesting Candidate | Reasons for Disqualification |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | General Election to the Madhya Pradesh, Legislative Assembly, 2008. | 31-Raghogarh | Shri Bhupendra Singh Ward No.-11 Aron, (Madhya Pradesh). | Failed to lodge any account of his election expenses. |
| 2 | —do— | —do— | Sh. Lalaram (Uncle), Village Sakatpur Post Negma District, Guna (Madhya Pradesh). | —do— |

By Order,
Sd./-
(YUHLUNG STANDHOPE)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.